भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 679

दिनांक 05/12/2025

राज्य कृषि विश्वविद्यालयों में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लिए आरक्षण

679. श्रीमती राजाथी:

क्या **कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को राज्य कृषि विश्वविद्यालयों में ऑल इंडिया कोटा सीटों पर ओबीसी आरक्षण लागू करने के संबंध में विधिक विभाग से कोई कानूनी राय प्राप्त हुई है;
(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ग) क्या सरकार का राज्य कृषि विश्वविद्यालयों की ऑल इंडिया कोटा सीटों में ओबीसी आरक्षण लागू करने का विचार है?

उत्तर
कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री
(श्री भागीरथ चौधरी)

(क) एवं (ख) : जी, हां। भारत के सॉलिसिटर जनरल का यह मत था कि अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) (नॉन-क्रीमी लेयर) तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) की श्रेणी को आरक्षण देने का मामला एक नीतिगत निर्णय है जिसे कि सरकार द्वारा अंतिम रूप दिया जाए और यह मामला कानूनी राय का विषय नहीं हो सकता। ऑल इंडिया कोटा (AIQ) सीटों में आरक्षण लागू करने का अधिकार केंद्र सरकार के पास है। बेहतर होगा कि संबंधित अथॉरिटी एक समुचित निर्देश/अधिसूचना जारी करे, जिसमें AIQ सीटों के हिसाब से सरकार को जो सही लगे, उस तरह से आरक्षण दिया जाए।

(ग) : केंद्र सरकार ने शैक्षणिक सत्र 2024-25 से सभी 74 कृषि विश्वविद्यालयों (63 राज्य कृषि विश्वविद्यालय, 04 भाकृअनुप-मानद विश्वविद्यालय, 03 केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय और कृषि संकाय की सुविधा वाले 04 केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय) में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ऑल इंडिया कोटा सीटों के लिए 27% ओबीसी (नॉन-क्रीमी लेयर) आरक्षण लागू किया है। कार्यान्वयन को कार्यालय ज्ञापन सं. कृषि शिक्षा 12(30)/2023-A&P(e-251195) दिनांक 2 नवम्बर, 2023 द्वारा अधिसूचित किया गया था **(अनुबंध)**।

****

अनुबंध

{राज्य सभा के दिनांक 05.12.2025 के अतारांकित प्रश्न सं. 679 का भाग (ग)}

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद
कृषि शिक्षा प्रभाग
कृषि अनुसंधान भवन-II, पूसा, नई दिल्ली-110012

फा.सं. कृषि शिक्षा 12(30)/2023-A&P(e-251195) दिनांक 2 नवम्बर, 2023

कार्यालय ज्ञापन

सक्षम प्राधिकारी द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि भाकृअनुप-कृषि विश्वविद्यालय प्रणाली (ICAR-AU) के अंतर्गत राज्य कृषि विश्वविद्यालयों (SAUs) द्वारा दिए जाने वाले 20% स्नातक (UG) तथा 30% स्नातकोत्तर/पीएच.डी. (PG/Ph.D.) ऑल इंडिया कोटा सीटों में 27% अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC - Non Creamy Layer) को, केंद्रीय ओबीसी सूची के अनुसार और 10% आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) को, केंद्र सरकार के मानकों के अनुसार आरक्षण दिया जाएगा। यह आरक्षण अगले शैक्षणिक सत्र 2024-25 से लागू होगा।

तदुपरांत 20% स्नातक (UG) तथा 30% स्नातकोत्तर/पीएच.डी. (PG/Ph.D.) ऑल इंडिया कोटा सीटों में कुल आरक्षण इस प्रकार होगा :-

अनुसूचित जाति (S.C.) 15%, अनुसूचित जनजाति (S.T.)- 7.5%, अन्य पिछड़ा वर्ग (O.B.C.)- (नॉन-क्रीमी लेयर)- केंद्रीय ओबीसी सूची के अनुसार - 27%, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS)- केंद्र सरकार के मानकों के अनुसार - 10%, दिव्यांगजन (PwD) - दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए 5% क्षैतिज (Horizontal) आरक्षण और वंचित राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों (यूपीएस) श्रेणी के लिए 2%.

ह./-

(कुमार राजेश)
निदेशक (कृषि शिक्षा)

प्रति

1. परीक्षा नियंत्रक, कृषि शिक्षा प्रभाग, भाकृअनुप - कैब-II, पूसा, नई दिल्ली। कृपया इसे अगले शैक्षणिक सत्र यथा 2024-25 के लिए परीक्षा ब्रोशर/सूचना बुलेटिन में शामिल करें।
2. निदेशक, डेयर को सूचनार्थ।

नोट:- इस कार्यालय ज्ञापन की आवश्यकता वाले व्यक्ति/संगठन कृपया इसे भाकृअनुप वेबसाइट/शिक्षा पोर्टल से डाउनलोड कर लें।

****